एस0टी0— 159 / 2019

19.08.19 वाद अभिलेख आज बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक—29.07.19 अन्तर्गत धारा—227 दं0प्र0सं0 के तहत पर आदेश हेतु निश्चित है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष के द्वारा दिनांक—19.08.19 को आवेदन दाखिल करते हुए, अनुरोध किया गया है कि सूचिका शांति देवी के लिखित आवेदन के आधार पर थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर, इस वाद का अनुसंधान किया है। अनुसंधानोपरांत अभियुक्त दिलू सहनी को निर्दोष दिखाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अनुसंधान के क्रम में दिलू सहनी के विरुद्ध कोई साक्ष्य घटना में शामिल होने के संदर्भ में नहीं मिला है। अपहृता पूजा कुमारी पुलिस द्वारा बरामद कर निम्न न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और उसका 164 दं0प्र0सं0 के तहत बयान दर्ज हुआ था। जिसमें दिलू सहनी का नाम अपहृता ने नहीं लिया है, जब कि अपहृता दिलू सहनी को अच्छी तरह से पहचानती थी। दिलू सहनी अपहृता के पति का भाई है। अतः अभियुक्त दिलू सहनी के विरुद्ध आरोप कठन पर अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अतः दिलू सहनी को आरोप मुक्त किया जाय।

अभियोजन इसमें कोई प्रति उत्तर दाखिल नहीं किए हैं, परंतु अभियोजन मौखिक रूप से विरोध किया है और अभियोजन का कथन है कि दिलू सहनी का प्रस्तुत वाद में संलिप्तता है और दिलू सहनी के सहयोग से पूजा कुमारी को अपहरण किया गया था। अतः आरोप मुक्त करने के संदर्भ में जो आवेदन दिया गया है उसे खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है एवं सूचक ने अपने पुनः बयान में भी साक्षी का नाम ली है। कांड दैनिकी में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः सफाई पक्ष का आवेदन दिनांक—29.07.19 का अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—तृतीय,